न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 06/2020

1 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह।
2 भरतसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह।
3 चांद कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह।
4 ओमकंवर पत्नी दशरथ सिंह।
5 मनोज कंवर पत्नी शंकर सिंह।
6 दुर्गेश शेखावत पुत्र शंकर सिंह।
7 वंशीका पुत्री शंकर सिंह।
8 जयवर्धन सिंह पुत्र शंकर सिंह नाबालिग संरक्षिका माता मनोज कंवर (अपीलांट संख्या 5) समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रताप सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
2 शक्तिसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 बी.एस.ए.एल. मोबाईल टॉवर देवीपुरा जरिये अधिकृत प्रतिनिधि देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व दिनांक 11.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी राजस्थान सरकार बनाम शंकर सिंह आदि मुकदमा नम्बर 03/2012

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नलगढड द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.30 हैक्टेयर की खातेदारी शंकरसिंह पुत्र दशरथ सिंह, ओमकंवर पत्नी दशरथ सिंह, प्रताप सिंह पुत्र हनुमान सिंह, चांद कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, भरतसिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमि मे से 0.0148 हैक्टेयर भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ काम मे लेना मानते हुए भूमि धारक राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष पेश किया। जिसमे अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाया गया था परन्तु अपीलांट को बिना सूचना दिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ ने निर्णय दिनांक 11.07.2015 को पारित किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.39 हैक्टेयर मे से 0.0148 हैक्टेयर को सिवाय चक घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

किया जाता है कि मुताबिक घोषित सिवाय चक भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अलम दरामद किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 11.07.2015 से व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय दिनांक 11.07.2015 अपीलांट्स की कभी कोई जानकारी नही थी ना ही विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का नोटिस जारी किये। विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स को बिना नोटिस प्राप्त हुये ही विधि के प्रावधानो के विरूद्व जाकर अपीलांट्स की तलबी होना मानते हुये अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलांट को उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध मे कभी भी नोटिस प्राप्त नही हुये ना ही तामिल कुनीन्दा कभी नोटिस लेकर अपीलांट्स के उपरोक्त पते पर गया और ना ही कभी किसी भी अपीलांट्स ने नोटिस लेने से इन्कार किया। तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस पृष्ठांकित नही किया गया है किस व्यक्ति ने अपीलांट के गृह की पहचान की है जिसकी उपस्थिति मे समन की प्रति अपीलाट्स के गृह पर चस्पा की गई है। जबकि तामिल कुनिन्दा कभी भी अपीलांट्स के घर नोटिस लेकर नही गया। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स की तामिल होना मानकर उक्त विधि विरूद्व निर्णय पारित करने की भूल की है। ग्राम देवीपुरा की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 1428 को या इसके किसी भी भाग को अपीलांट ने कभी भी अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग मे नही किया एंव उक्त आराजी के सम्बंध मे अपीलांट्स ने ऐसा कोई कृत्य नही किया है कि जो खातेदारी अधिकारो की शर्तो के विरूद्व हो। ना ही इस सम्बंध मे पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य मौजूद है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट संख्या 3 से कभी अपनी कृषि भूमि पर मोबाईल टॉवर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई संविधा नही की । ना ही इस प्रकार की संविधा करना पत्रावली पर मौजूद है। अपीलांट उपरोक्त वर्णित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे व मौके पर काबिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

काश्त है। अपीलांट्स को अपनी खातेदारी हक अधिकारो की भूमि के सम्बंध मे सभी हक अधिकार प्राप्त था। जिनसे अपीलांट को विधि विरूद्व रूप से किसी भी प्रकार से वंचित नही किया जा सकता है। अपीलांट्स को विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व मे कभी नही हुई। अपीलांट ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किया तो अपीलांट ने राजस्व अभिलेख जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो अपीलांट को अपनी उपरोक्त खसरा नम्बर मे से 0.0148 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि मे से कम होकर सिवाय चक दर्ज होने की जानकारी मिली तब अपीलांट्स ने न्यायालय में आकर अधिवक्ता से सलाह कर विचारण न्यायालय से सम्बंधि प्रकरण की पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 11.03.2020 को प्राप्त की तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधि विरूद्व निर्णय की जानकारी हुई। अपीलांट्स को विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय की जानकारी होने व नकल मिलने के तुरन्त पश्चात ही जानकारी होने के रोज से अन्दर मियाद उक्त अपील श्रीमानजी की सेवामें पेश की है। इसके बावजूद भी अपील अन्दर मियाद नही मानी जाती है तो अपीलांट्स को अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर अपील ग्रहण की जावे। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 03/2012 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम शंकर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2015 को अपास्त फरमाये जाकर पत्रावली इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि विचारण न्यायालय अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर देते हुये साक्ष्य लेकर पुनः निर्णय पारित करें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय मे अपीलांट की विधि अनुसार प्रकिया अपनाकर चस्पादंगी से सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय मे तहसीलदार स्वंय ने आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर बने अवैध मोबाईल टॉवर को दिनांक 04.09.2008 को कुर्क कर पटवारी हल्का बाय की सुपुर्दगी में दिया गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार द्वारा धारा 90ए के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का जानकारी नही होने का कथन स्वीकार्य नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलांट्स के विरूद्व तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2008 अन्तर्गत धारा 90ए दर्ज कर अकृषि प्रयोजनार्थ कार्यवाही हेतु अपीलांट को नोटिस तामिल करवाये गये है। इस प्रकरण में भी अपीलांट अनुपस्थित रहे है। दिनांक 13.09.2012 को तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में धारा 177 के अन्तर्गत प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। अपीलांट ने इन तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को विधि विरूद्व नही माना जा सकता है। अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में मियाद का लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.3.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

13.3.24

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर कैम्प झुन्झनू